

कार्यालय नीलामी समिति, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद।

नीलामी सूचना:

वर्षाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय परिसर में स्थित दुकान फोटो म. न्यायालय को जाने वाली सड़क पर दाहिने ओर स्थित (बहुउद्देशीय कार्य हेतु) एवं कैप्टीन नजारत के सामने पूर्व की ओर मुख्य द्वार से सी.जे.एम. न्यायालय को जाने वाली होने ओर स्थित (बहुउद्देशीय कार्य हेतु) की नीलामी वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 01.2022 को सायं 04.30 बजे जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद के प्रांगण में केन्द्रीय मने की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी के अनुसार बोली बोल सकते हैं।

शर्तों के अधीन की जायेगी:-

कैप्टीन नजारत के सामने पूर्व की ओर मुख्य द्वार से सी.जे.एम. न्यायालय को जाने वाली सड़क पर दाहिने ओर स्थित (बहुउद्देशीय कार्य हेतु) के बोली दाता को 20000/- रुपये एवं कैप्टीन नजारत के सामने पूर्व की ओर मुख्य द्वार से सी.जे.एम. न्यायालय को जाने वाली सड़क पर दाहिने ओर स्थित (बहुउद्देशीय कार्य हेतु) के बोली दाता को 10000/- रुपये अग्रिम धनराशि धरोहर के रूप में बोली बोलने से पूर्व जमा

करने से पूर्व जमानत धनराशि जमा करते समय प्रत्येक बोली दाता को अपनी शिनाख्त हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड अथवा ऐसे ही किसी अन्य शिनाख्ती प्रपत्र की प्रतिलिपि जमा करनी होगी।

दुकानदारों/दुकानदारों पर पिछले वित्तीय वर्ष का दुकान के ठेके का धन अवशेष होगा वह धन को जमा करने के उपरांत ही बोली बोलने का अधिकारी होगा।

कृत होने के पश्चात जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन के तुरन्त बाद बोली की शर्तों का 1/2 भाग सम्बन्धित ठेकेदार को तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 2023 को जमा करनी होगी।

ठेकेदार को नियत स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर दुकान लगाने का अधिकार नहीं

कृत होने पश्चात एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना पत्र के साथ फोटो, मु0 100/- रुपये का स्टाम्प शुल्क तथा दो गारन्टर प्रस्तुत करना। उक्त गारन्टर एवं ठेकेदार अपने आधार कार्ड/पैन कार्ड अथवा बैंक पासबुक की प्रतिलिपि पत्र के साथ मूल प्रति के प्रस्तुत करेंगे। मूलप्रति बाद में वापस कर दी जायेगी। ठेकेदार को बिना अनुबन्ध पत्र निष्पादित किये दुकान प्रारम्भ करने का अधिकार नहीं होगा।

ठेकेदार किसी दूसरे ठेकेदार को अपना गारन्टर नियुक्त नहीं कर सकेगा।

बोली को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय का होगा।

बोली बोलने वाले ठेकेदार के द्वारा धरोहर के रूप में जमा की गयी धनराशि का अन्तिम किस्त में किया जायेगा। अन्तिम किस्त तक धरोहर की धनराशि धरोहर के

त जमा रखी जायेगी। नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों की धरोहर की धनराशि
कर दी जायेगी।

नी की अधिकतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यदि निर्धारित समय के अंदर बोली की
भाग जमा करने में असफल रहता है तो नीलामी निरस्त करके उसके द्वारा अग्रिम रूप से
को जब्त कर लिया जायेगा तथा दुकानों को पुनः नीलामी द्वारा ठेके पर उठा दिया जायेगा।
द्वारा उक्त शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है या यदि उसके द्वारा किसी
तान निर्धारित समय के अन्दर नहीं किया जाता है तो उसे एक सप्ताह का नोटिस देने के
वैरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही संचालित की जायेगी।

2022

(महेन्द्र सिंह-IV)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),

जनपदन्यायालय, फर्रुखाबाद।

लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

कारी नजारत को सूचनार्थ।

गलय, फर्रुखाबाद के नजारत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

नजारत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

का परिषद, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

प्रत, फतेहगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

गा अधिकारी, फतेहगढ़ को निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

कारी कम्प्यूटर्स, जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद को स्थानीय एवं माननीय उच्च न्यायालय
पर अपलोड करने हेतु।

लय, कायमगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

सं0 562/19-02-2007-1007/74 (T.C.) dated July 2007 के सन्दर्भ में
व न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 14092/Admin. (B-V) Section: Allahabad
y 31, 2017 के निर्देशानुसार निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
प्रेषित की जाये।

2022

nt/TMPupload
+website.

(महेन्द्र सिंह-IV)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट),

जनपदन्यायालय, फर्रुखाबाद।